आदेश की क्रम सं० और तारीख 01	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई व बारे में टिप्पणी तारीख सहित 03

राजस्व विविध वाद सं0– 01/2016–17

देवनारायण महतो बनाम बलराम महतो

–: आदेश :–

यह अभिलेख मौजा– बड़ासिंहपुर, पाकुड़िया दाग सं0– 06, जमाबंदी सं0– 53, रकवा– 05 बीघा 05 कट्ठा 02 धूर जमीन को लेकर सुनावाई के लिये न्यायाल अपर समाहर्ता, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक– 21.12.2016 के निर्देशानुसार प्रारम्भ किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा अपने अपने पक्ष के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया तथा आवेदनकारी देवनारायण महतो तथा विपक्षी बलराम महतो के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा एक लिखित बहस भी दाखिल किया गया है।

आवेदनकारी देवनारायण महतो का मामला संक्षेप में है कि दाग नं0– 06 मौजा– बड़ासिंहपुर, थाना– पाकुडिया, जिला– पाकुड़ खतियान में पुरातन पतित कहकर दर्ज है। उक्त जमीन तत्कालीन जमीनदार द्वारा उनके साथ बंगला साल 1361 में बंदोबस्त की गई थी। वर्तमान में बंगला साल– 1424 चल रहा है। यानि 73 वर्ष पूर्व तथा बंदोबस्ती पट्टा उनके नाम निर्गत किया गया था। उस समय से आज तक आवेदनकारी उक्त जमीन का शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। उनका यह भी कहना है कि आधार कार्ड के मुताबिक उनकी वर्तमान उम्र 87 वर्ष है। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा दिये गये भू–दान पट्टा दिया गया है, वह सच्ची कागजात है या नहीं इसका कोई तथ्य या प्रमाण न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। बिहार भू–दान यज्ञ नियम एवं नियम की धारा– 10(i) के अनुसार पुरातन पतित गैर मजरूआ जमीन भू–दान यज्ञ समिति को दान में नहीं दी जा सकती है और न ही उस पट्टे की कोई संपुष्टि होती है।

विपक्षी का कहना है कि आवेदनकारी द्वारा दायर किये गये पट्टा की संपुष्टि उचित रूप से नहीं की गई केवल मौखिक रूप से यह बोला गया कि महेशपुर

23/7/18

राज से आवेदनकारी के साथ उक्त भूमि का बंदोबस्ती की गई थी तथा लगान भी धार्य कर दिया गया था। पुनः लगान धार्य कराने का जरूरत क्यों पड़ा? जबकि कानूनन सर्वथा महेशपुर राज को अपने द्वारा दिये गये जमीन का लगान धार्य करने का पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त था। यह भू–दान पट्टा 1951 में दी गई। उस समय बिहार भू–दान यज्ञ कमिटि एक्ट, 1954 लागू नहीं हुई थी इसलिए बिहार भू–दान यज्ञ कमिटि धारा– 15(a) के मुताबिक कोई भी जमीन यदि गाँव प्रधान या मूल रैयत या घटवाल द्वारा दी गई है तो उक्त जमीन को वैध हस्तानान्तरण समझा जायेगा।

विपक्षी का यह दावा है कि यह जमीन गाँव के खतियानी प्रधान खाड़े किस्कू के द्वारा दी गई थी। Record of rights के मुताबिक प्रधान गाँव के कोई भी अनावादी या पुरातन पतित जमीन से अपने रैयत को दे सकते है। इसमें किसी भी प्रकार का कानूनन अड़चन नहीं था। खतियानी प्रधान खाड़े किस्कू के उपस्थिति में जमीन/जमीनदार या किसी पदाधिकारी का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था अपितु ग्रामिण प्रधान ही उक्त पतित जमीन की बंदोबस्ती हेतु सक्षम होता है।

आवेदनकारी देवनारायण महतो का कथन है कि दिये गये जमीनदारी पट्टा जो गलत तथा निरर्थक है। क्योंकि 2014 के मतदान सूची के अनुसार उनका उम्र 74 वर्ष ही होता है। यानि 1944 में पट्टा लेते समय उनका उम्र 04 वर्ष ही था। तब कैसे माना जा सकता है कि उनके तरफ से जमीनदारी पट्टा को जमीनदार से ग्रहण किया गया था? पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक– 12.05.2014 को गाँव के सोलह आना रैयतों को नोटिश भी निर्गत किया गया था। जिसपर कुल 12 रैयतों ने अपना हस्ताक्षर कर के लौटाया था। परन्तु गाँव के वर्तमान प्रधान सुरेन्द्रनाथ किस्कू तथा वार्ड पार्षद प्रेमचाँद हेम्ब्रम द्वारा अपने हस्ताक्षर होने की असहमति जताई बल्कि पूरे रैयतों के हस्ताक्षर को जाली बताया। जिससे गाँव के प्रधान तथा वार्ड पार्षद एवं रैयत का कथन है कि देवनारायण महतों द्वारा उक्त जमीन को प्राप्त करने हेतु प्रधान तथा रैयतों की हस्ताक्षर को जाली बनाकर न्यायालय के समक्ष रखा गया।

अतः पुनः अंचल अधिकारी, पाकुड़िया से दखल के बिन्दु से जाँच

26/7/16

...पोर्ट की मांग की गई जो दिनांक– 06.07.2018 को प्राप्त हुआ। इस पर अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक तथा राजस्व कर्मचारी के द्वारा स्थल जाँच संबंधित प्रतिलिपि प्राप्त हुआ। इस पर संबंधित भूमि का वर्तमान दखल कब्जा विपक्षी बलराम महतो, पिता– स्व0 भागीरथ महतो का ही पाया गया तथा ग्रामीणों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई।

अतः अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल प्रतिवेदन से यह मैं पाता हूँ कि विपक्षी का दावा का पूर्ण समर्थन मिलता है तथा विपक्षी द्वारा ही उक्त जमीन का दखल कब्जा काफी दिनों से चला आ रहा है। जिसका पुष्टि विपक्षी द्वारा दाखिल किये गये सच्ची प्रतिलिपि, जो दिनांक– 27.07.2016 द्वारा दिये गये जिला भू–दान यज्ञ कमिटि, साहेबगंज, पाकुड़ से निर्गत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि से विपक्षी के द्वारा दावा का पूर्ण सूमर्थन मिलता है। अतः उपरोक्त प्रश्नगत भूमि विपक्षी श्री बलराम महतो, पिता– स्व0 भागीरथ महतो, ग्राम– बड़सिंहपुर, जिला– पाकुड़ के नाम करने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रश्नगत भूमि पर लगान शेष बलराम महतो के नाम पूर्व के प्रविष्टि को संशोधित करने की स्वीकृति दी जाती है वर्ष 1951 से अभी तक उस लगान का भूगतान विपक्षी श्री बलराम महतो से ही वसूलनीय होगा। उपरोक्त आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़िया को भेंजे। कोई भी पक्ष इस आदेश के विरूद्ध सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित।

23/7/18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पाकुड़।

23/7/18

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पाकुड़।

25/7/18

seen 27.10.18

Digitally signed by HARI BANSH PANDIT
Date: 2023.03.14 16:01:09 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:50:3a01:62dc:ce87